



Email: cswriavikanagar@yahoo.com
दूरभाष : 01437-220177 फ़ैक्स नं. 91-01437-220163

भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान
अविकानगर, तह0 मालपुरा, जिला–टोंक (राजस्थान) – 304501

ICAR-Central Sheep & Wool Research Institute
Avikanagar, Teh.Malpura, Dist.Tonk (Rajasthan) – 304501



Dated:28-9-2017

NOTICE INVITING TENDER THROUGH E-PROCUREMENT

Online Bids are invited from the interested firms under two bid system for **Annual Maintenance Contract work for Electricity (HT/LT Lines) and Submersible Motor/Jetpump/Monoblock Motor established at ICAR-CENTRAL SHEEP & WOOL RESEARCH INSTITUTE AVIKANAGAR, MALPURA ,DISTT. TONK , RAJASTHAN , PIN 304501 .**

Manual bids shall not be entertained.

Tender documents may be downloaded from e-Procurement website of CPP <https://eprocure.gov.in/> and www.cswri.res.in as per the schedule as give in CRITICAL DATE SHEET as under:

CRITICAL DATE SHEET

Tender No.	SP/contract Proposal/2017-18/
Date and Time for issue/Publishing	28-09-2017, 3.00 PM
Document Download/Sale start date and time	30-09-2017, 3.00 PM
Bid Submission Start Date and Time	01-10-2017, 3.00 PM
Bid Submission End Date and Time	20-10-2017, 3.00 PM
Date and Time for Opening of Bids	21-10-2017, 3.00 PM
Tender fee and Earnest money Security money	Tender fee – Rs.500/- Earnest money – Rs.15,000-00 Security money – 5-10 % of contract amount
Bank detail	ICAR UNIT -CSWRI ,Avikanagar payable State Bank of India, Branch – Malpura Tonk Rajasthan
Address for Communication	Administrative Officer, C.S.W.R.I., Avikanagar, Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501

Administrative Officer

INSTRUCTIONS FOR ONLINE BID SUBMISSION

- 1- The tender form/bidder documents may be downloaded from website: <https://eprocure.gov.in>. Online submission of Bids through Central Public Procurement Portal (<https://eprocure.gov.in>) is mandatory. **Manual/Offline bids shall not be accepted under any circumstances.**
- 2- Tenders/bidders are requested to visit website <https://eprocure.gov.in> regularly. Any changes/modifications in tender enquiry will be intimated by corrigendum through this website only.
- 3- In case, any holiday is declared by the Government on the day of opening, the tenders will be opened on the next working day at the same time. The Institute reserves the right to accept or reject any or all the tenders.
- 4- The interested Firms are required to deposit (in original) **Tender Fee of Rs.500/-** (Non-refundable) in the shape of Demand Draft prepared in favour of **ICAR UNIT -CSWRI ,Avikanagar payable at SBI, MALPURA may be addressed to the Administrative Officer, C.S.W.R.I., Avikanagar, Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501** on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.
- 5- The interested Firms are required to deposit (in original) and Earnest Money Deposit (EMD) of the amount mentioned against item in the form of Demand Draft/FDR from any of the Nationalised Bank in favour of **ICAR UNIT -CSWRI, Avikanagar payable at SBI, MALPURA** may be addressed to the Administrative Officer, C.S.W.R.I., Avikanagar, Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501 on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.
- 6- The firm should send the Original brochures of the product and may be addressed to the **Administrative Officer, CSWRI, Avikanagar, Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501 on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.**
- 7- Bidders need not be come at the time of Technical as well as financial bid opening at ICAR-CSWRI, Avikanagar. They can view live bid opening after login on CPP e-Procurement Portal at their remote and, If bidder wants to join bid opening event at ICAR-CSWRI, Avikanagar then they have to come with bid acknowledge slip that generates after successfully submission of online bid.

The Firms are also required to upload scanned copies of the following documents:

1. Scanned copy of Firm Registration certificate
2. Scanned copy of Pan card
3. Scanned copy of ESI and EPF Registration
4. Scanned copy of D.D. of Tender Fee
5. Scanned copy of D.D. of E.M.D.
6. Scanned copy of acceptance letter
7. **Scanned copy of atleast two year relevant work experience in any department of Institute/Agency or company**
8. **Scanned copy of licence issued by Central or State govt. Regarding maintainece of 11000/415 Volt line related electric work.**

All necessary documents in support of the details for S.No. 1 to 8 must accompany the technical bid. The bid is liable to be rejected in case documents are not uploaded in the technical bid on CPP Portal, documents are incomplete or in case any certification/registration has already expired but is yet to be renewed. Only essential and necessary valid documents are to be uploaded in the technical bid. Please avoid uploading extraneous and irrelevant documents which unnecessary cause confusion.

Administrative Officer

संस्थान में स्थापित विद्युत के संचालन व रख-रखाव, इत्यादि के रख-रखाव से संबंधित कार्य को अनुबन्ध (जॉब कोन्ट्रैक्ट) के आधार पर करने के लिये कार्य विवरण:

- कार्य की प्रकृति :** यह विस्तृत अनुरक्षण ठेका परिसर में स्थित सभी नियमित स्थापित विद्युत व्यवस्था के रख-रखाव एवं अनुरक्षण हेतु आमंत्रित किया जाता है। ठेके की समायावधि के दौरान निम्न लिखित स्थापित विद्युत व्यवस्था को सही प्रकार से रखना आव यक होगा।
 - संस्थान के सभी कार्यालय भवनों जैसे- प्राासनिक भवन, एन.पी.बी. भवन, टी.एम.टी.सी. भवन, पुस्तकालय भवन, केन्टीन ब्लॉक, अभियांत्रिक इकाई, ऑडोटीोरियम, िडा भवन, मेन गेट, के.बी. कॉम्पलेक्स, पशु स्वास्थ्य विभाग, मांस विज्ञान, केन्द्रीय/राजकीय विद्यालयों, चिकित्सालय, समाज सदन, अतिथि-गृहों, ापिंग कम्पलेक्स, सभी भेड़/बकरी/खरगो ा सेक्टर, सभी पीने के पानी वाले एवं कृषि कार्य में प्रयोग पम्प हाऊसेज, सुरक्षा बिन्दु (घरेलू एवं नोन-घरेलू (N.D.S. & D.S.) आदि (लगभग 5000 बिन्दु) पर विद्युत की व्यवस्था को सुचारू बनाये रखना।
 - स्ट्रीट (सड़कों) लाईट जिसमें फ्लोरोसेंट, एच.पी.एस.वी., एच.पी.एम.वी., एच.पी. एवं सी.फल.एल., लाईटें ामिल हैं (लगभग 250 बिन्दु) का रख-रखाव करना।
 - लगभग 250 आवासीय मकानों की विद्युत रख-रखाव कार्य (लगभग 250 बिन्दु)।
 - 25 KVA से 160 KVA तक क्षमता वाले बाहरी सब स्टे ान-कम-वितरण ट्रांसफार्मर्स, लगभग 11 KVA/415 वोल्ट्स वाले 12 स्टे ान (बाइन्डिंग संस्थान की होगी) का रख-रखाव करना।
 - 11 KV 415 वोल्ट्स LT वाले लगभग 30 किलोमीटर लम्बाई वाली ओवर हेड लाईन का रख-रखाव करना।
 - 5 HP , 2 INCH GI discharged क्षमता वाले लगभग 16 पम्प एवं 4 बूस्टर पम्प सेट्स के बिजली बोर्डों/पेनल का रख-रखाव।
 - संस्थान में स्थित 385 केवीए के दो जेनेटर, 160 केवीए का एक जेनेटर तथा 12 केवीए के दो जेनेटर सेटों का प्रतिदिन रख-रखाव व संचालन करवाना होगा।
- कार्य क्षेत्र: वार्षिक अनुरक्षण ठेकेदार को िकायत निवारण के अतिरिक्त निम्न लिखित अनुरक्षण /निर्धारित कार्य भी करने होंगे:**
 - सभी LT पेनल्स का उचित रख-रखाव करना (एक वर्ष में दो बार)।
 - सभी मुख्य बोर्डों का उचित रख-रखाव करना (एक वर्ष में दो बार)।
 - सभी उप-मुख्य बोर्डों का उचित रख-रखाव करना (एक वर्ष में दो बार)।
 - सभी डीबी का उचित रख-रखाव करना (एक वर्ष में दो बार)।
 - अर्थ सेट्स की जांच करना (एक वर्ष में एकबार)।
 - सभी मुख्य बोर्डों, उप मुख्य बोर्ड एवं डीपी में अर्थ निरन्तरता की जांच करना (एक वर्ष में एक बार)।
 - पोल (खम्भों) की पुताई एवं चिन्हित करना (एक वर्ष में एक बार)।
 - सभी प्रकार की फिटिंग की साफ-सफाई करना (एक वर्ष में ओसतन चार बार)।
 - HT/LT ओवर हेड लाईट लाईन को कसना/सेग (sag) की जांच करना (एक वर्ष में एक बार)।
 - HT/LT ओवर हेड इन्सूलेटर की जांच करना एवं फिक्सिंग करना (एक वर्ष में दो बार)।
 - HT/LT की ास आर्म्स/स्ट्रटे आर्म्स इन्सपेक्सन एवं फिक्सिंग करना (एक वर्ष में दो बार)।
 - ट्रांसफार्मर्स का ऑयल लीक, ऑयल की स्तर, कनेक्सन, साफ-सफाई, अर्थिंग आदि की जांच एवं फिक्सिंग करना (एक वर्ष में दो बार)।
 - GO स्विच की जांच एवं फिक्सिंग करना (एक वर्ष में दो बार)।
 - HT/LT जम्पर कनेक् ान का इन्सपेक् ान एवं फिक्सिंग करना (एक वर्ष में एक बार)।
- उपरोक्त के अतिरिक्त संस्थान में नवनिर्मित भवनों का रख-रखाव व रिपेयरिंग कार्य भी करना होगा।
- संस्थान में खोदे गये ट्यूबवेलों 8 नग जो कि ई.टी.ओ 11 के पास, ई.टी.ओ.14 के पास, कोपरेटीव स्टोर के पास,ई.टी.ओ 05 के पास ाले ,सेक्टर 13 के पास रोड पर, ई.टी.ओ. 14 के पास रोड पर ,ब्लोक नं0 17 पर रोड किनारे और सेक्टर नं.9 के सामने वाली सड़क के पास स्थित है का विद्युत रिपेयरिंग रख-रखाव करना होगा।
- िकायत निवारण :**
 - सम्पूर्ण परिसर में आव यक विद्युत आपूर्ति बनाए रखने हेतु उपकेन्द्रों (Sub-stations), ओवर हेड लाईन्स, पम्पस आदि एवं विद्युत सम्बन्धी िकायतों के निवारण करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि की होगी।
 - स्ट्रीट लाईट, कार्यालय भवनों एवं प्रयोग ालाओं में आव यक विद्युत आपूर्ति बनाये रखने हेतु एवं विद्युत संबंधी िकायतों के निवारण करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि की होगी।
 - आवासीय भवनों के रख-रखाव एवं विद्युत संबंधी िकायतों के निवारण करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार प्रतिनिधि की होगी।
 - ठेकेदार को एक बिन्दु अस्तित्व वाली लाईन के बारे में संस्थान के अभियांत्रिक प्रभारी के साथ समन्वय स्थापित करना होगा।
- उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त विद्युत अनुरक्षण एवं ब्रेक डाऊन/वर्तमान में स्थापित विद्युत व्यवस्था मरम्मत एवं रख-रखाव कार्य सम्मिलित है।
 - उक्त अनुबन्ध में आंतरिक स्थापित विद्युत व्यवस्था की आव यकतानुसार सामान्य मरम्मत एवं रख-रखाव कार्य सम्मिलित है।
 - रख-रखाव में फिटिंग एसेसरीज एवं फिक्चर्स को बदलना भी शामिल है। पंखों/फिटिंग्स/सब-स्टेशन एरिया की सफाई भी इस ठेके में शामिल है।
 - ठेकेदार द्वारा पानी के पम्पों, ट्रांसफार्मर्स, HT/LT स्विच गियर, HT/LT ओवर हेड लाईन्स, मेन बोर्ड, डीबी इत्यादि का सुरक्षात्मक रख-रखाव करना होगा।
 - ट्रांसफार्मर्स से वर्ष में एक बार आयल निकालना एवं अच्छा आयल डालने का कार्य भी ठेकेदार को करना हेगा जिसके लिए ठेकेदार को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। आयल संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा।
 - आवश्यकता पडने पर पेडों की छंगार/ओवर हेड लाईन पर लटकने वाली टहनियों को हटाना भी इस ठेके के अन्तर्गत करना होगा।
 - यह कार्य भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये बिजल आपूर्ति अधिनियम/नियमों के अनुसार किया जावेगा।

13. ठेकेदार को संस्थान परिसर में प्रभारी विद्युत एवं उपकरणीय अनुभाग/प्रतिनिधि द्वारा बताये जाने वाले स्थान पर विद्युत कार्य से सम्बन्धित शिकायत पंजिका/लॉग बुक रखनी होगी।
14. ठेकेदार/प्रतिनिधि द्वारा अलग से एक कार्य डायरी रखनी होगी जिसमें सम्बन्धित शिकायतकर्ता/प्रभारी, विद्युत एवं उपकरणीय अनुभाग से कार्य संबंधी शिकायत दूर करने पर हस्ताक्षर करवाने होंगे।
15. अनुरक्षण के लिए आवश्यक सामग्री जैसे- बल्ब, ट्यूब, स्टार्ट, एसेसरीज, तार, इन्सूलेटर सिवच इत्यादि संस्थान द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे जिनके उपभोग एवं भंडार को लौटाई गई खराब सामग्री का पूरा विवरण ठेकेदार को रखना होगा।
16. रख-रखाव हेतु सभी कार्य सामग्री (फ्यूज वायर, इन्शुलेशन टेप, स्क्रूज, टेप, सेंडल, लकड़ी की गट्टी, चैकनट्स, वाशर, सेन्ड, सीमेंट एवं टेस्ट लेम्प आदि को छोड़कर) संस्थान द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावेगी तथा जारी की गई सामग्री के प्रयोग में लेने एवं हिसाब हेतु शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर लेना आवश्यक होगा।
17. ठेकेदार को प्रभारी, विद्युत एवं उपकरणीय अनुभाग द्वारा बताये गये कार्य को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय में पूर्ण करना होगा।
18. चूंकि संस्थान परिसर बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है अतः ठेकेदार/उनके प्रतिनिधियों को विद्युत सम्बन्धी शिकायतों के निराकरण करने हेतु आने व जाने के लिये उचित परिवहन/साधन स्वयं ठेकेदार को उपलब्ध कराना होगा। संस्थान द्वारा कोई साधन उपलब्ध नहीं करवाया जावेगा।
19. ठेका समयावधि के दौरान जेवीवीएनएल से बिजली आपूर्ति बंद करने एवं पुनः आपूर्ति चालू करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं ठेकेदार का होगा। इसके लिये ठेकेदार को उचित अभिलेखन/रिकार्ड रखना होगा तथा ठेका समाप्त होने पर प्रभारी, उपकरण/विद्युत अनुभाग को सौंपना होगा।
20. शिकायत निवारण के समय खराब/टूटी/बेकार सामग्री होने पर ही बदली जावेगी तथा सामान को बदलने के उपरान्त शिकायतकर्ता से लगाये गये सामान की रसीद प्राप्त करनी होगी। यदि खराब सामग्री उपलब्ध नहीं है इस स्थिति में प्रभारी, विद्युत एवं उपकरणीय अनुभाग से खराब सामग्री उपलब्ध नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही बदली जायेगी।
21. ठेकेदार को अपने टूल्स एवं ट्रेकल्स जिसमें वर्किंग टूल्स, ओ एच लाईन पुलर, 30 फीट लम्बी सीढी, HI/LT प्रोटेक्शन गियर, काशॉन बोर्ड, लाईन अर्थिंग गीयर, मैगर्स, कन्टीन्यूटी चैकर्स, टार्च लाईट इत्यादि यह सभी ठेकेदार को रख-रखाव हेतु नियुक्त वायर मेन/लाईनमेन/इलेक्ट्रिशियन कार्यस्थल पर ही उपलब्ध कराना होगा जिसके लिए कुछ भी अतिरिक्त देय नहीं होगा।
22. संस्थान में स्थापित विद्युत इकाईयों को चालू/साफ एवं अच्छी स्थिति में रखने तथा धूल एवं कीड़ों आदि से बचाने की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
23. ठेकेदार को संस्थान परिसर में विद्युत आपूर्ति संबंधी अभिलेखन रखना होगा।
24. ठेकेदार द्वारा वार्षिक अनुरक्षण के लिए उनके प्रतिनिधियों आदि को वर्दी/जूते/नाम पट्टिका आदि पहनाना होगा।

कटौतियाँ :-

1. संस्थान परिसर में स्थित सभी भवनों में स्थापित विद्युत संबंधी सम्पत्ति की सूची विद्युत अनुभाग द्वारा ठेकेदार के हस्ताक्षर लेने के बाद दी जायेगी तथा वार्षिक अनुबन्ध समाप्ति के पश्चात् ठेकेदार द्वारा सम्पत्ति की सूची विभाग को संभलवानी होगी। किसी भी प्रकार का नुकसान एवं कमी होने पर उसकी कीमत ठेकेदार से वसूली की जायेगी।
2. किसी भी शिकायत को बिना उचित कारणों के 24 घंटों के अन्दर दुरस्त नहीं करने पर प्रथम दो दिनों तक 100 रूपये प्रति शिकायत प्रति दिन के हिसाब से एवं दो दिनों के बाद 200 रूपये प्रति शिकायत प्रति दिन दण्डात्मक कटौती की जाएगी।
3. विद्युत इकाईयों में कोई भी खराबी आने पर उसकी सूचना तुरन्त प्रभारी, विद्युत एवं उपकरणीय अनुभाग को देनी होगी। साथ ही खराबी को तुरन्त प्रभारी के निर्देशानुसार दुरस्त करना होगा। ऐसा नहीं करने पर ठेकेदार स्वयं इसके लिए जिम्मेदार होगा तथा उस खराबी अपने स्तर एवं खर्च पर दूर करना होगा। ईकाई को गलत ढंग से चलाने के कारण खराबी आने पर ठेकेदार द्वारा उसे अपने स्तर एवं खर्च पर दूर करना होगा।

सबमर्सिबल मोटर/मोनो ब्लॉक बूस्टर मोटर की मरम्मत एवं रख-रखाव संबंधित कार्य :

संस्थान के विभिन्न सैक्टरों एवं फील्ड में स्थापित सबमर्सिबल पम्प मोटर /मोनो ब्लॉक /जेट मोटर इत्यादि के जल जाने /खराब हो जाने की स्थिति में रिवाइडिंग रिपेयर से संबंधित कार्य :-

1. अनुबन्धकर्ता को संस्थान परिसर में विभिन्न सेक्टरों पर लेगे सबमर्सिबल मोटर/मोनो ब्लॉक बूस्टर मोटर/जेट पम्प की मरम्मत का कार्य करना होगा। संस्थान में वर्तमान में 35 सबमर्सिबल मोटर व 14 मोनो ब्लॉक बूस्टर मोटर उपलब्ध है तथा इनकी कम या ज्यादा हो सकती है।
2. अनुबन्ध की अवधि में खराब होने वाले पम्पों को ठीक करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी तथा खराब पम्प को शिकायत दर्ज होने के 24 घण्टे के भीतर-भीतर ठीक कराना होगा।
3. उपरोक्त से सम्बन्धित सभी कार्य (मरम्मत/मोटर बाइंडिंग इत्यादि) प्रभारी, विद्युत एवं उपकरणिय अनुभाग/प्रतिनिधि के निर्देशन में करने होंगे। अर्थात् कार्य का भुगतान संबंधित प्रभारी एवं प्रभारी, विद्युत एवं उपकरणिय अनुभाग द्वारा कार्य की संतोषजनक पूर्णता/सत्यापन के उपरान्त बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर दिया जावेगा।
4. अनुबन्ध कार्य पर रखे जाने वाले कार्मिक अनुभवी व सम्बन्धित कार्य में डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट धारी होने चाहिए।
5. शिकायत निवारण हेतु कार्य स्थान तक सामान को लाने व ले जाने की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार को करनी होगी। संस्थान द्वारा किसी प्रकार की परिवहन व्यवस्था/साधन उपलब्ध नहीं करवाया जावेगा।
6. ठेकेदार/प्रतिनिधि को प्रभारी, विद्युत एवं उपकरणिय अनुभाग से सम्पर्क रखकर विद्युत, ए.सी. व सबमर्सिबल मोटर से संबंधित शिकायत दूर करने के लिए समन्वय, नियंत्रण एवं पारस्परिक सम्पर्क कराना होगा।

कटौतियां:

1. मरम्मत के दौरान अनुबन्धकर्ता की लापरवाही से अगर सबमर्सिबल मोटर/मोनो ब्लॉक बूस्टर मोटर/जेट पम्प बोरवेल/ट्यूबवेल में गिर जाता है तो उसके लिये अनुबन्धकर्ता जिम्मेदार होगा तथा नुकसान की भरपाई अनुबन्धकर्ता को नकद अथवा उनके देय बिल से की जावेगी।
2. किसी भी शिकायत को बिना उचित कारणों के 24 घंटे के अन्दर दुरस्त नहीं करने पर 200 रुपये प्रति शिकायत प्रति दिन के हिसाब से दण्डात्मक कटौती की जाएगी।

अनुबन्ध की सामान्य नियम व शर्तें:

1. अनुबन्ध की अवधि कार्य आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी परन्तु सक्षम अधिकारी चाहे तो इसे कम या अनुबन्धकर्ता की आपसी सहमति से वर्तमान दर व नियम शर्तों पर एक वर्ष से दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
2. ठेकेदार/प्रतिनिधि को अनुबन्ध की अवधि में संस्थान की सम्पत्ति को नुकसान से बचाना होगा। यदि कोई नुकसान/चोरी/क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी वसूली स्वयं ठेकेदार को नकद करनी होगी अन्यथा उनके देये बिल से काट ली जावेगी और अनुबन्ध निरस्त कर अमानत व जमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
3. कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये उचित व न्यूनतम दर ही स्वीकार की जावेगी। साथ ही जो निविदा भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम श्रमिक दर को पूर्ण नहीं करेगी उसे निरस्त समझा जावेगा।
4. ठेकेदार के पास भारत/राज्य सरकार से विद्युत संबंधी 11000/415 वोल्ट के रख-रखाव कार्य व विद्युत से सम्बन्धित सभी कार्य/रख-रखाव को करने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी लाइसेंस होना आवश्यक है बिना लाइसेंस के कोई निविदा स्वीकार नहीं कि जावेगी।
5. ठेकेदार को 11000/415 वोल्ट के 1000 के.वी. व इससे अधिक लोड वाले संस्थान/एजेन्सी/कम्पनी में कार्य करने का दो वर्षों का अनुभव होना चाहिए।
6. अनुबन्धकर्ता को इस निविदा में वर्णित सभी कार्यों को करने के लिये 24 घण्टे सेवायें देनी होंगी।
7. अनुबन्ध कार्य में लगने वाले श्रमिकों की आयु 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वे पूर्णरूपेण स्वस्थ होने चाहिये।
8. ठेकेदार/प्रतिनिधि को प्रभारी, विद्युत एवं उपकरणिय अनुभाग से सम्पर्क रखकर विद्युत/सबमर्सिबल मोटर/मोनो ब्लॉक बूस्टर मोटर/जेट पम्प की मरम्मत से संबंधित शिकायत दूर करने के लिए समन्वय, नियंत्रण एवं पारस्परिक सम्पर्क कराना होगा।
9. विद्युत इकाईयों के अनुरक्षण संबंधी बिल का भुगतान ठेकेदार द्वारा संतोषजनक कार्य करने पर प्रभारी अभियांत्रिक को प्रति माह बिल (तीन प्रतियों में) प्रस्तुत करना होगा जिसका भुगतान मासिक आधार पर नियमित समय पर किया जाएगा।
10. ठेके से सम्बन्धित किसी भी प्रकार विवाद होने पर निदेशक, केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर का निर्णय अंतिम होगा जिसे ठेकेदार द्वारा मान्य होगा। ठेकेदार द्वारा वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध को लेने से पूर्व इस पर अपनी सहमति देनी होगी।
11. अनुबन्ध की अवधि के दौरान ठेकेदार एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ शिष्टता का व्यवहार करना होगा।
12. ठेकेदार द्वारा विद्युत अनुरक्षण कार्य हेतु किसी भी बाल श्रमिक को कार्य पर नहीं लगाया जाएगा।
13. ठेकेदार द्वारा बिना वैधानिक लाइसेंस वाले प्रतिनिधियों को विद्युत अनुरक्षण कार्य हेतु नहीं लगाया जाएगा।
14. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल आदि का रख-रखाव स्वयं ठेकेदार को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का GPF/PF/ESI इत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो ठेकेदार द्वारा स्वयं के देय बिल राशि से देना होगा। संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नहीं करेगा। इस प्रकार का निस्तारण ठेकेदार स्वयं अपने स्तर पर करेगा।
15. कार्य अवधि में अनुबन्धकर्ता के श्रमिक/म गिन को किसी भी प्रकार की क्षति होती है, तो संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा अनुबन्धकर्ता स्वयं पूर्णरूप से जिम्मेदार होगा। साथ ही संस्थान द्वारा किसी प्रकार का क्लेम नहीं दिया जावेगा। अतः अनुबन्धकर्ता अनुबन्ध मिलने के साथ ही उसके अधीन कार्य करने वाले सभी कार्मिकों का बीमा अव यक करवा लें।

16. संबंधित वित्तीय वर्ष में या समय-समय पर होने वाले संशोधन के अनुसार ठेकेदार के देय मासिक बिल में से नियमानुसार जीएसटी/आयकर (GST/Income Tax) एवं उस पर लगने वाले सरचार्ज राशि की भी कटौती की जावेगी।
17. ठेकेदार को अनुबन्ध की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय-2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। यदि भुगतान से सम्बन्धित किसी भी श्रमिक द्वारा कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई राशि का पूर्ण भुगतान करने की जिम्मेदारी भी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।
18. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय-पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं बनाकर फोटो युक्त परिचय-पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर विद्युत एवं उपकरणिय अनुभाग अनुभाग में प्रस्तुत करना होगा। परिचय-पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो (पहचान-पत्र) आव यक्त होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।
19. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्च पर करनी होगी। तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति राशि नहीं दी जावेगी।
20. आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 2 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
21. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख ठेकेदार को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा माँगने पर प्रस्तुत करना होगा।
22. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान को होगा। जिसे ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा मान्य होगा।
23. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रैक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कोन्ट्रैक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
24. संस्थान के सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बताये किसी भी समय जारी अनुबन्ध आदेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
25. सफल ठेकेदार को 100/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये एग्रीमेन्ट देना होगा, जिसका प्रारूप य अनुभाग से प्राप्त करना होगा।
26. संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को बिना कोई कारण बताये किसी भी एक/सभी निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

संस्थान के विभिन्न सैक्टरों एवं फील्ड में स्थापित सबमर्सिबल पम्प मोटर/मोनो ब्लॉक/जैट मोटर इत्यादि के जल जाने /खराब हो जाने की स्थिती में रिवाइडिंग रिपेयर से संबंधित कार्य में प्रयुक्त होने वाले सामानों /पार्ट्स की वित्तीय निविदा निम्न प्रकार है:-

क्र.सं०	नाम वस्तु	रिमांक
	विद्युत के संचालन व रख-रखाव से संबंधित (जॉब कोन्ट्रैक्ट) कार्य को करने की राशि	रु प्रति माह
सबमर्सिबल पम्प मोटर/मोनो ब्लॉक/जैट पम्प निकालने व पुनः डालने का कार्य		
1.	सबमर्सिबल मोटर बाइडिंग (5HP/3 PH /8-10Stage)	रु प्रति पम्प
2.	सबमर्सिबल मोटर बाइडिंग (10HP/3 PH /8-17Stage)	रु प्रति पम्प
मोटर्स में रिपेयर हेतु प्रयुक्त सामान		
1.	एम्पलुअर की सर्विस व फिटिंग चार्ज	रु प्रति मोटर
2.	एम्पलुअर सैट (प्रति सैट)	रु प्रति मोटर
3.	बियरिंग	रु प्रति नग
4.	थ्रस्ट बैयरिंग प्लेट	रु प्रति नग
5.	शाफ्ट,बुश सैट	रु प्रति नग
6.	क्लच, प्लेट	रु प्रति नग
7.	लैथं वर्क फॉर शॉफ्ट	रु प्रति नग
8.	मोनोब्लॉक बूस्टर मोटर बाइडिंग (5HP/3PH/440vatt)	रु प्रति मोटर
9.	मोनोब्लॉक बूस्टर मोटर बाइडिंग (7.5HP/3 PH /440Vatt)	रु प्रति मोटर
10.	मोनोब्लॉक बूस्टर मोटर बाइडिंग (10HP/3 PH /440Vatt)	रु प्रति मोटर
11.	बियरिंग	रु प्रति नग
12.	ऑयल सिल	रु प्रति नग
13.	ग्लैन डोरी	रु प्रति नग
14.	ग्रिसिंग	रु प्रति नग
15.	लैथं वर्क फोर शॉफ्ट	रु प्रति नग
16.	कनैक्शन प्लेट	रु प्रति नग
17.	PVC फैन फोर मोटर	रु प्रति नग
18.	क्लच प्लेट	रु प्रति नग